

20

4427- I/17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

पक्षकार -

श्री गोपाल प्रसाद परस्ते पिता महेश सिंह परस्ते जाति गौड़ (आदिवासी)
निवासी- ग्राम कल्याणपुर तह. कुण्डम जिला जबलपुर
विस्तृद्ध -

Sir
लिखी है जावेदक
(कड़.)
~२४/१/१७

- अनावेदक - 1. श्री प्रदीप सोनी उम्र 47 वर्ष पिता श्री रामफल सोनी (गैर आदिवासी)
पता-म.नं. 74/ख, सदर, तह. व जिला जबलपुर
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(4)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 26/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4)के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री गोपाल प्रसाद परस्ते पिता महेश सिंह परस्ते जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी- ग्राम कल्याणपुर तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम फिफरी प.ह. नं. 07 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 8/1/2 रकवा 0.530 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री प्रदीप सोनी उम्र 47 वर्ष पिता श्री रामफल सोनी (गैर आदिवासी) पता-म.नं. 74/ख, सदर, तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम पोहका प.ह.नं. 30, रा.नि.मं. इमलई तह. कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 47/1, 6, 4/1, 4/2 रकवा क्रमशः 0.560, 1.250, 1.200, 1.120 कुल रकवा 4.210 हेक्टेयर यानि कि लगभग 10.5 एकड़ भूमि अंसिचित भूमि शेष बचीगी। जो कि मेरे एवं परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पाचात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
- प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 09.01.2017 को नियत किया गया था आवेदक के परिवार में परिवार में विवाह होने के कारण आवेदक उपस्थित नहीं हो सकता, जिसके फलस्वरूप कलेक्टर



24 JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 427-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१-२-१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 9-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 9-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम फिफरी प.ह. नं. 07 रा.नि.मं. इमर्लई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 8/1/2 रक्खा 0.530 हेक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक -1/ठौर</p>	

P
1/1

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रश्नकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा हत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां हैं शासन से प्राप्त भूमियां नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम कोहका प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.210 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाफ्न से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम फिफरी प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 8/1/2 रक्का 0.530 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ</p> <p style="text-align: center;">(W)</p>	

P/
10

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अप्रैल 427-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विकाय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विकाय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्धी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विकायपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा।</p> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>(मान)</i> (एम०क० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</p>	